न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3396–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.8.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 96/12–13/अपील.

———

1– सत्यनारायण पिता हीरालाल जाति माली
निवासी लम्बी गली रतलाम मुख्त्यार आम

2– कानू, भगवतीलाल पिता हीरालाल
निवासी लम्बी गली रतलाम म.प्र.

3– दिनेश पिता पूनमचंद जी माली
निवासी लंबी गली रतलाम द्वारा मुख्तरआम
1– गोपाल पिता पूनमचंद्र जी माली
2– उषा बाई पुत्री पूनमचंद जी माली
3– राजू पिता पूनमचंद जी माली
तीनों निवासीगण लम्बी गली रतलाम म.प्र.

4– संतोषबाई पुत्री पूनमचंद जी जाति माली
निवासीगण सभी लम्बी गली रतलाम
जिला रतलाम म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

सर्वसाधारण द्वारा शासन ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी.टी.गुप्ता ।
अनावेदक अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-03-15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 96/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–8–14 के विरूद्ध म.प्र.

भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के तहत तहसीलदार, रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नं. 276 रकबा 1.45 तथा सर्वे न. 996 रकबा 7.800 हैक्टर स्थित कस्बा रतलाम जो कि मंदिर श्री सोमनाथ के नाम पर दर्ज कर ली गई थी व व्यवस्थापक कलेक्टर, रतलाम का नाम दर्ज चला आ रहा है किंतु शासन की ओर से कोई प्रमाण पेश नहीं किए हैं इत्यादि । आवेदन में उन्होंने उक्त भूमि अपने नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया । तहसीलदार ने विचारोपरांत उक्त आवेदन आदेश दिनांक 31–12–11 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 28–9–12 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण मंदिर की भूमि पर नामांतरण के संबंध में है । प्रकरण में आवेदक द्वारा मंदिर पर व्यवस्थापक के रूप में दर्ज प्रविष्टि को काटकर स्वयं का नामांतरण किए जाने की मांग विचारण न्यायालय में की गई । इस पर से तहसीलदार ने आवेदक का दावा सिविल न्यायालय से खारिज हो जाने से उसकी नामांतरण की मांग अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में आवेदक का स्वत्व घोषणा का दावा निरस्त हो जाने और उसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर

आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा जो राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, इस तथ्य को देखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर